

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी  
जनपद-चित्रकूट

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल/15177 दिनांक/3 सितम्बर, 2019  
विषय-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 30 अप्रैल-02 मई, 2019 को जनपद-चित्रकूट में आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयो पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

संलग्नक-भ्रमण आख्या

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए.),  
अपर मिशन निदेशक  
तद्दिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ०प्र०।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, चित्रकूट।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बांदा मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बांदा मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, चित्रकूट।

(डा० वेद प्रकाश),  
म०नो०अधिकारी,  
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण  
महाप्रबन्धक-आर०आई०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उ0प्र0।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी  
जनपद-चित्रकूट

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल दिनांक: 3 सितम्बर, 2019  
विषय-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैस/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 30 अप्रैल-02 मई, 2019 को जनपद-चित्रकूट में आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयो पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

संलग्नक-भ्रमण आख्या

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए ),  
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-बांदा मण्डल/5177-7 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, चित्रकूट।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बांदा मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बांदा मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, चित्रकूट।

(डा0 वेद प्रकाश),  
म0नो0अधिकारी,  
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण  
महाप्रबन्धक-आर0आई0

**भ्रमण आख्या जनपद- चित्रकूट,बांदा**  
**दिनांक 30,अप्रैल-02,मई,2019**

**भ्रमण दल के सदस्य -**

- डा0 वेद प्रकाश - महाप्रबन्धक, आर0आई0 (मण्डलीय नोडल, अधिकारी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण)
- डा0 अर्पित श्रीवास्तव - परामर्शदाता, आर0आई0
- श्री सत्यप्रकाश -कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262-Dated-31-12-2018 के क्रम में प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक- 30 अप्रैल-02, मई, 2019 के मध्य जनपद-चित्रकूट की चिकित्सा इकाईयों- संयुक्त जिला चिकित्सालय, चित्रकूट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-मानिकपुर, चित्रकूट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पहाड़ी, का भ्रमण किया गया एवं जनपद बांदा तथा चित्रकूट में जनपद स्तर पर जनपदस्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

**जनपद-चित्रकूट**

दिनांक 02.05.2019 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लाक चिकित्साधिकारी, यूनिरोफ प्रतिनिधि, यू0एन0डी0पी0 प्रतिनिधि, पिरामल प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी तथा सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक- दिनांक 02.05.2019 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें चित्रकूट मण्डल के नोडल अधिकारी (महाप्रबन्धक, नियमित टीकाकरण) द्वारा राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियां तथा पूर्व में माह जनवरी-2019 में किये गये भ्रमण के सापेक्ष किये गये सुधारात्मक कार्यवाही पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक के बिन्दु निम्नवत है-

**भ्रमण सारांश**

(दिनांक 30 अप्रैल-02 मई, 2019 के भ्रमण के दौरान माह जनवरी, 2019 भ्रमण के अवलोकित बिन्दु के सापेक्ष तुलनात्मक संक्षिप्त विवरण)

जनवरी, 2019 में पायी गई कमियां	माह,अप्रैल-मई 2019 की स्थिति	सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
चिकित्सा इकाईयों पर साफ सफाई-: टीम द्वारा माह जनवरी-19 में भ्रमण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं पायी गयी थी। चिकित्सा इकाईयों पर साफ सफाई के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों को साफ-सफाई के सुपरविजन हेतु किसी कार्मिक को दायित्व सौंपा जाना तथा स्वीपर्स द्वारा सफाई का कार्य लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।	2 माह के अन्तराल पर भी चिकित्सा इकाईयों के साफ सफाई में कोई सुधार नहीं हुआ एवं साफ सफाई की स्थिति अत्यन्त दयनीय पायी गयीं।	निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर समस्त चिकित्सा इकाईयों पर साफ सफाई की व्यवस्था हेतु उचित प्रबन्धन कराना सुनिश्चित किया जाये। साफ सफाई के लिये सेवा प्रदाता के कार्य न किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधिकारी
बायोमैडिकल वेस्ट निस्तारण-सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा वेस्ट निस्तारण ससमय नहीं किया जा रहा है। राज्य स्तरीय टीम द्वारा माह जनवरी-19 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पहाड़ी, के परिसर में प्लेसेन्टा तथा बिना हब कटे प्रयोग की जा चुकी सिरिंजें एवं अन्य अपशिष्ट सामग्रियां खुले में निस्तारित थीं एवं जला दी गयी थीं।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पहाड़ी के भ्रमण के दौरान संज्ञान में आया कि पूर्व की भांति ही सेवा प्रदाता द्वारा वेस्ट कलेक्सन विगत 15 दिनों से नहीं किया गया था। परिसर में प्लेसेन्टा तथा बिना हब कटे प्रयोग की जा चुकी सिरिंजें एवं अन्य अपशिष्ट सामग्रियां खुले में निस्तारित थीं एवं जला दी गयी थीं।	इस तरह की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गयी एवं वेस्ट निस्तारण के लिये सेवा प्रदाता के ससमय वेस्ट निस्तारण न किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा सेवाप्रदाता के जनपदीय पर्यवेक्षक को बुलाकर नियमानुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। तथा कार्य संतोषजनक न पाये जायें पर अनुबन्ध समाप्त करने की	मुख्य चिकित्साधिकारी /प्रभारी चित्साधिकारी



जनवरी, 2019 में पायी गई कमियां	माह, अप्रैल-मई 2019 की स्थिति	सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
जली हुई पायी गयी।		चेतावनी भी दी गयी।	
अकियाशील उपकरणों को समय से Repair – पूर्व भ्रमण के दौरान चिकित्सा ईकाईयों पर अकियाशील उपकरण पाये गये थे। Equipment खराब होने पर CYREX agency का टोल फ्री नं०- 18002700129 तथा मो०- 8299844932 (कानपुर मण्डल) से सम्पर्क कर उपकरण शीघ्र सही कराने हेतु निर्देशित किया गया था।	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में CYREX agency द्वारा अकियाशील उपकरणों का रिपेयर ससमय कराया जा रहा है।	नोडल अधिकारी द्वारा CYREX agency पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ प्रभारी चिकित्साधिकारी
एन०आर०सी० संदर्भन-: पूर्व भ्रमण के दौरान कोई भी बच्चा भर्ती नहीं था।	अप्रैल माह में भ्रमण के दौरान पाया गया- ■ एन०आर०सी० में 5 बच्चे भर्ती थे। ■ बच्चों का संदर्भन ब्लाक स्तर से नहीं हो रहा है। ■ आई०सी०डी०एस० विभाग द्वारा एन०आर०सी० में बच्चे के संदर्भन के सम्बन्ध में सहयोग में कमी पायी गयी।	निर्देशित किया गया कि आर०बी०एस०के०, आंगनवाड़ी, एवं आई०सी०डी०एस० विभाग की सम्मिलित बैठक करा कर एन०आर०सी० पर बच्चों के संदर्भन में आ रहे समस्याओं पर चर्चा कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में कुपोषित बच्चों के संदर्भन तथा उपचार में गतिशीलता लायी जा सके। टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि एन०आर०सी० में बच्चों के डिस्चार्ज से पूर्व घर पर दिये जाने वाले पौष्टिक आहार से सम्बन्धित जानकारी अवश्य प्रदान की जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ नोडल अधिकारी
एन०बी०एस०यू०- एन०बी०एस०यू० अव्यवस्थित पाये गये। एन०बी०एस०यू० के स्टाफ नर्सों में Radiant Warmer के संचालन की जानकारी में कमी पायी गयी।	एन०बी०एस०यू० के स्टाफ नर्सों में Radiant Warmer के संचालन की जानकारी में कमी पायी गयी। संकमण नियंत्रण प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है।	एन०बी०एस०यू० के स्टाफ नर्सों को जिला चिकित्सालय के एस०एन०सी०यू० पर बुलाकर प्रशिक्षण कराने के लिये निर्देशित किया गया। जिससे एन०बी०एस०यू० स्टाफ के कौशल में वृद्धि हो सके।	नोडल अधिकारी
वी०एच०एन०डी० सुपरविजन :- माडल वी०एच०एन०डी० सत्र होने के उपरान्त भी सत्रों का सुपरविजन नहीं किया जा रहा है।	पूर्व की भांति ही ब्लाकों में वी०एच०एन०डी० सत्रों का सुपरविजन नहीं किया जा रहा है।	निर्देशित किया गया कि प्रत्येक PHC/CHC से वी०एच०एन०डी० सत्र के लिये उचित कार्ययोजना तैयार कर सुपरविजन सुनिश्चित किया जाये। BPM/BCPM को कार्ययोजना में सम्मिलित कर वी०एच०एन०डी० सत्रों का सुपरविजन सुनिश्चित करायें। सुपरविजन न किये जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी०सी०पी०एम०
आर०आई०- पूर्व भ्रमण के दौरान माईकोप्लान-: माईकोप्लान उपलब्ध थे, किन्तु आई०एम०आई० के सत्रों को आर०आई० के सत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया था। ए०वी०डी०-ए०वी०डी०-अन्य क्षेत्रों हेतु भुगतान रू० 75 प्रति ए०वी०डी० की दर से किया जा रहा था। आर०आई० दिशानिर्देश 2018-19 उपलब्ध	माह अप्रैल भ्रमण के दौरान माईकोप्लान- लाजिस्टिक में आर०वी०वी० वैक्सीन सम्मिलित नहीं था। आई०एम०आई० सत्रों को आर०आई० सत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया है।  ए०वी०डी०- पूर्व की भांति ए०वी०डी०-अन्य क्षेत्रों हेतु भुगतान रू० 75 प्रति ए०वी०डी० की दर से किया जा रहा था।	निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र माईकोप्लान updation का कार्य पूर्ण कर लिया जाये। आई०एम०आई० सत्रों को आर०आई० सत्रों में सम्मिलित कर छूटे हुए सत्रों पर टीकाकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही काम्यूनिकेशन प्लान, ए०वी०डी० रूट प्लान, सुपरवाइजरी प्लान तथा माईकोप्लान को शीघ्र अपडेट करने के निर्देश दिये गये।	कोल्ड चेन हैंडलर/ प्रभारी चिकित्साधिकारी

जनवरी, 2019 में पायी गई कमियां	माह, अप्रैल-मई 2019 की स्थिति	सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
<p>कराते हुए नये दर से भुगतान हेतु निर्देशित किया गया था। काम्यूनिकेशन प्लान-उपलब्ध नहीं थे। e-VIN- खराब तापमान नियंत्रक को शीघ्र सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p><b>Safety Pit-</b> मानकानुसार ढक्कन उपलब्ध नहीं था।</p> <p>कोल्ड चेन रूम -प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। -अकियाशील उपकरण Condemn किये जाने योग्य पाये गये तथा उचित प्रक्रिया द्वारा Condem किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।</p>	<p>काम्यूनिकेशन प्लान-उपलब्ध नहीं थे। e-VIN- खराब तापमान नियंत्रकों को पूर्व निर्देशों के कम में अभी भी बदला नहीं गया है।</p> <p><b>Safety Pit-</b> मानकानुसार ढक्कन उपलब्ध था, परन्तु कुछ ईकाईयों पर उपयोग नहीं किया जा रहा है। कोल्ड चेन रूम- -प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध थे किन्तु उनकी प्रिन्टिंग स्पष्ट नहीं थीं। - Condemnation योग्य उपकरणों का एकत्रित कर निस्तारण किया जाना लम्बित है।</p>	<p>मानकानुसार <b>Safety Pit</b> के उपयोग हेतु निर्देशित किया गया।</p>	
<p>मोबाइल मेडिकल यूनिट- भारत सरकार द्वारा जनपद को 2 मोबाइल मेडिकल वाहन उपलब्ध कराये गये हैं जिसका सुचारु रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।</p>	<p>मोबाइल मेडिकल यूनिट एक एन0जी0ओ0 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कोई भी समन्वय नहीं किया जाता है। वाहन की सेवा विगत 20 दिनों से बाधित पायी गयीं</p>	<p>मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर तैनात मोबाइल मेडिकल यूनिट समन्वयक को निर्देशित किया गया कि वाहन को शीघ्र संचालित कराये तथा जितने दिवसों तक वाहन की सेवा बाधित रही है उतने दिनों का शुल्क नियमानुसार काटा जायेगा।</p>	<p>मुख्य चिकित्साधिकारी</p>

*(Signature)*  
 डॉ. रमेश कुमार  
 मुख्य चिकित्साधिकारी  
 जनपद देवरिया



## भ्रमण का विस्तृत विवरण

(दिनांक 30 अप्रैल-02 मई, 2019 के भ्रमण के दौरान माह जनवरी, 2019 भ्रमण के अवलोकित बिन्दु के सापेक्ष तुलनात्मक विस्तृत विवरण)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पहाड़ी

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह जनवरी 2019	अवलोकन बिन्दु अप्रैल 2019 एवं सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
	पूर्व भ्रमण के दौरान साफ सफाई, पानी, आकस्मिक कक्ष, प्रसव कक्ष, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, अक्रियाशील उपकरण, भुगतान से सम्बंधित समस्यायें पायी गयी थीं।	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 माह के अन्तराल पर भी चिकित्सा ईकाई में पूर्व भ्रमण के दौरान दिये गये सुझावों पर कोई सुधार नहीं हुआ।</li> <li>राज्य स्तरीय टीम के भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों में सुधार न होने पर आपत्ति व्यक्त की गयी तथा अतिशीघ्र सुधार करने के लिये निर्देशित किया गया।</li> </ul>	मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिटीजन चार्टर मौजूद नहीं था।</li> <li>आई०ई०सी० की कमी पाई गयी।</li> <li>बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिये रूम का निर्माण किया जाना है। स्टाफ को बायो मेडिकल वेस्ट के लिये प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसके लिये चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पुनः 1 माह की समयवधि में पूर्ण करने की समयवधि दी गयी थी।</li> <li>चिकित्सालय परिसर में प्लेसेन्टा तथा बिना हब कटे प्रयोग की जा चुकी सिरिज एवं अन्य अपशिष्ट सामग्रियां खुले में निस्तारित पायी गयीं एवं अपशिष्ट सामग्रियां जला दी गयी थीं। जो कि आपत्तिजनक है। भविष्य में अपशिष्ट सामग्रियों को न जलाने के लिये निर्देशित किया गया था।</li> <li>परिसर में साफ सफाई नहीं थी। शौचालय गन्दे थे। उपरोक्त पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिटीजन चार्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी।</li> <li>परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम प्रचार प्रसार सामग्रियों के प्रदर्शन में कमी पायी गयी। अद्यतन प्रचार प्रसार सामग्रियों का प्रदर्शन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा विगत 15 दिनों से वेस्ट का संग्रहण नहीं किया गया है।</li> <li>बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु रूम का निर्माण का कार्य लम्बित है। स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण एवं संकमण से रोकथाम से सम्बंधित Practices उपयोग में नहीं ला रहे हैं। बायो मेडिकल वेस्ट एवं संकमण नियंत्रण से सम्बंधित Practices परिसर में Follow किया जाने हेतु चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 1 सप्ताह में प्रशिक्षण एवं अनुस्मरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>भविष्य में अपशिष्ट सामग्रियों न जलाने के लिये निर्देशित किया गया था परन्तु अभी भी अपशिष्ट सामग्रियां जली हुई तथा सिरिज की नीडिल खुले में निस्तारित पायी गयीं।</li> <li>परिसर में साफ सफाई नहीं थी। शौचालय गन्दे थे एवं नल, बेसिन, फर्स, सिस्टर्न इत्यादि टूटे अथवा खराब अवस्था में पाये गये। परिसर में शौचालय को इस्तेमाल योग्य बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>चिकित्सा ईकाई पर सफाई कर्मियों का</li> </ul>	प्रभारी चिकित्साधिकारी

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह जनवरी 2019	अवलोकन बिन्दु अप्रैल 2019 एवं सुधारात्मक कार्यवाही / निर्देश	कार्यवाही का स्तर
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्लाक प्रभारी चिकित्साप्रभारी को मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा साफ-सफाई के सुपरविजन हेतु किसी कार्मिक को दायित्व सौंपा जाना तथा स्वीपरों द्वारा सफाई का कार्य लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रोस्टर एवं सम्बंधित कार्मिक द्वारा सुपरविजन से सम्बंधित कोई भी कार्ययोजना उपलब्ध नहीं थी।</li> <li>मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन 10:00-12:00 के कार्यों का अवलोकन किया जाये।</li> </ul>	
इमरजेन्सी एवं इन्जक्शन कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>विगत माह भ्रमण के दौरान इलेक्ट्रानिक हब कटर मशीन खराब थी जिसमें बिना हब काटे निडिल डिस्पोज की जा रही थी। तथा ब्लिचिंग solution उपयोग नहीं किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से नई हब कटर मशीन उपलब्ध करायी गयी थी एवं तैनात स्टाफ को वेस्ट डिस्पोजल की जानकारी दी गयी एवं सही तरीके से डिस्पोज करने हेतु निर्देशित किया गया था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नयी हब कटर मशीन में बिना हब काटे निडिल का निरतारण किया जा रहा है।</li> <li>संज्ञान में आया कि ए0आर0वी0 लगाने हेतु सिरिज परिसर में उपलब्ध होने के उपरान्त भी बाहर से मंगायी जा रही है तथा बाहरी स्टोर से दी जा रही सिरिज हेतु ₹0 10 लिया जा रहा है एवं सिरिज का रैपर हटा कर सिरिज दी जा रही है। चिकित्सा ईकाई में चल रही प्रैक्टिस आपत्तिजनक है एवं समुदाय के लिये हानिकारक है। मुख्यचिकित्साधिकारी के संज्ञान में लाते हुए चिकित्साप्रभारी को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थियों को डाइट एजेन्सी द्वारा बाहर से प्रदान किया जा रहा था। डाइट रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा है।</li> <li>डाइट की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सलाह दी गयी कि डाइट रजिस्टर बनाया जाये तथा मरीजों को दिये गये डाइट के हिसाब से ही रिपोर्टिंग किया जाए।</li> </ul>	
एक्स-रे	<ul style="list-style-type: none"> <li>एक्स रे मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से एक्स-रे नहीं ले पा रहे थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एक्स रे मशीन क्रियाशील थी।</li> </ul>	
पैथालॉजी	<ul style="list-style-type: none"> <li>टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि चिकित्सा ईकाई पर 5 ग्लूकोमीटर उपलब्ध थे जिनमें से एक भी क्रियाशील नहीं है। खराब ग्लूकोमीटर भी ईकाई पर उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नया ग्लूकोमीटर उपलब्ध था तथा उपयोग किया जा रहा था।</li> </ul>	
आपथेलमोलाजी	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vision Cylinder का बल्ब खराब था। तैनात आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अतिशीघ्र बल्ब चेन्ज करा दिया जायेगा।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vision Cylinder का बल्ब खराब पाया गया। सुगमता से पूर्ण होने वाले कार्यों में भी विलम्ब कर सेवा बाधित किये जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से नया बल्ब लगवाया गया।</li> </ul>	आप्टोमेट्रिस्ट
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम के साफ सफाई में कमी पायी गयी। प्रसव कक्ष में शौचालय अत्यन्त गन्दी अवस्था में पाया गया तथा प्रसव कक्ष में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। शौचालय में पानी का जमाव था जिससे शौचालय उपयोग नहीं किया जा रहा था।</li> <li>लेबर रूम में उपलब्ध रेडियंट वॉर्मर के पास साफ-सफाई नहीं थी। नवजात शिशुओं के लिये स्वच्छ तौलिये का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम के साफ सफाई में कमी पायी गयी। शौचालय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।</li> <li>रेडियंट वॉर्मर को स्थानान्तरित करते हुए लेबर रूम में लगे ए0सी0 के सामने लगाया गया है। रेडियंट वॉर्मर, एयर कन्डीशनर एवं स्टर्लाइजर के विद्युत</li> </ul>	प्रभारीचिकित्साधिकारी



गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह जनवरी 2019	अवलोकन बिन्दु अप्रैल 2019 एवं सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sterlization</b> हेतु आटोक्लेव खराब पाया गया। तथा प्रसव उपरान्त उपयोग किये गये उपकरणों को, पानी से धुल कर पुनः प्रसव के लिये उपयोग किये जा रहे थे, जो कि आपत्तिजनक है।</li> <li>• अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण हेतु कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था।</li> <li>• लेबर रूम में 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाये गये। ट्रे में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं। साथ ही कुछ expired दवाइयां पायी गयीं तथा सरसों के तेल पाया गया। आक्सीटोसिन को सही ढंग से स्टोर नहीं किया जा रहा था।</li> <li>• लेबर रूम से संबंधित समस्त रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध रजिस्ट्रों को भी मानक के अनुसार नहीं भरा जा रहा था।</li> <li>• पुरानी केश शीट उपयोग की जा रही थी तथा पार्टोग्राफ नहीं इंगित किया जा रहा था।</li> <li>• प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री उपलब्ध नहीं थे।</li> <li>• अधीक्षक महोदय को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए प्रसव कक्ष से संबंधित समस्त कार्यों को उपलब्ध मानव संसाधन में विभाजित करने हेतु सुझाव दिया गया। कार्यविभाजन की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना है।</li> </ul>	<p>प्रवाह हेतु एक साफिट उपलब्ध था। रेडियंट वर्गार से सम्बंधित बेबी ट्रे उपलब्ध नहीं थी। रेडियंट वर्गार को मानकानुसार रखने तथा उपयोग में लाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>आटोक्लेव सही था परन्तु मात्र काटन एवं गॉज पीस को स्टर्लाइज किया जा रहा था। <b>Delivery</b> से सम्बंधित स्टर्लाइजर द्वारा स्टर्लाइज किया जा रहा है। स्टर्लाइजर में पड़े equipments में जंग लगा था। प्रसव कक्ष में Sterlization protocols के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>मानकानुसार अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>7 ट्रे लेबर टेबल से दूर निकटस्थ कमरे में रखी गयी थी। 7 ट्रे के एक सेट को मानकानुसार लेबर टेबल के समीप रखे जाना हेतु उचित प्रबन्ध किया जाना है। 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाये गये। मेडिसिन ट्रे में दवाइयों का अभाव पाया गया। सुझाव दिया गया कि समय-समय पर रखी हुई दवाइयों को चेक किया जाय तथा ट्रे के ढक्कन पर दवाइयों की सूची लगायी जाये जिससे समय पूर्ण होने पर चिन्हित दवाइयों को बदला जा सकें।</p> <p>लेबर रूम से संबंधित समस्त रजिस्टर पूर्ण रूप से नहीं भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>नई केश शीट उपलब्ध थीं। पार्टोग्राफ भरने का सुझाव दिया गया।</p> <p>प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा नवीनतम आई0ई0सी0 सामग्री लगाया जाना है।</p> <p>लेबर टेबल पर कैलिस पैड में हवा नहीं भरी जा रही थी।</p> <p>लेबर टेबल के बीच में परदे लगाये जाने हैं</p> <p>डिजिटल घड़ी, हब कटर इत्यादि उपलब्ध कराया जाना है।</p> <p>प्रसव कक्ष से संबंधित समस्त कार्यों को उपलब्ध मानव संसाधन में विभाजित नहीं किया गया था जिस हेतु मुख्याधिकारिताधिकारी द्वारा चेतावनी देते हुए 3 दिवस के अन्दर कार्यविभाजन की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाने हेतु निर्देशित किया।</p>	
कोल्ड चैन रूम	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कोल्ड चैन रूम व्यवस्थित था प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध थे किन्तु उनकी प्रिन्टिंग</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रोटोकाल पोस्टर की प्रिन्टिंग स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिये निर्देशित</li> </ul>	प्रभारी चिकित्साधिकारी



गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह जनवरी 2019	अवलोकन बिन्दु अप्रैल 2019 एवं सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
	<p>स्पष्ट नहीं थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>डीप फ्रीजर में आइस पैक्स मानकानुसार नहीं पाये गये थे।</li> <li>ए0वी0डी0 रूट चार्ट उपलब्ध नहीं था तथा ए0वी0डी0 हेतु रू0 75.00 की दर से भुगतान किया जा रहा था।</li> <li>एक आई0एल0आर0 का स्टेबलाइजर खराब था</li> <li>एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईक्रोप्लान में समायोजन नहीं किया गया।</li> <li>आई0एल0आर0 के Temperature Log Book में Temperature का विवरण (Temperature Logger) देख कर भरा जा रहा था।</li> </ul>	<p>किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>डीप फ्रीजर में आइस पैक्स को मानकानुसार क्रिसक्रास तरीके से लगाये जाने का सुझाव दिया गया।</li> <li>ए0वी0डी0 रूट चार्ट तैयार कराया गया तथा नियमित टीकाकरण के दिशानिर्देश 2018-19 से अवगत कराते हुए ए0वी0डी0 हेतु रू0 90.00 की दर से भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।</li> <li>खराब स्टेबलाइजर को शीघ्र सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईक्रोप्लान में समायोजित करने के लिये निर्देशित किया गया।</li> <li>आई0एल0आर0 में पुराने खराब Thermometer को बदलकर नया Themometer रखवाया गया।</li> </ul>	
एन0बी0एस0यू0	<ul style="list-style-type: none"> <li>पी0एन0सी0 वार्ड के समीप एन0बी0एस0यू0 बनाया गया है। एन0बी0एस0यू0 कक्ष में अव्यवस्थित मिला।</li> <li>सम्बन्धित स्टाफ नर्सों को Radiant Warmer के संचालन की जानकारी में कमी पायी गयी।</li> <li>संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है।</li> <li>बेदी ट्रे, मेडिसिन ईत्यादि उपलब्ध नहीं थे। तथा उपलब्ध रजिस्टर का updation पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एन0बी0एस0यू0 कक्ष अव्यवस्थित मिला। एन0बी0एस0यू0 व्यवस्थित किया जाना है। (3 दिन)</li> <li>एन0बी0एस0यू0 के स्टाफ नर्सों को जिला चिकित्सालय के एन0एन0सी0यू0 पर बुलाकर प्रशिक्षण कराने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। जिससे एन0बी0एस0यू0 स्टाफ के कौशल में वृद्धि हो सके।</li> </ul>	प्रमारीचिकित्साधिकारी
मोबाइल मेडिकल यूनिट	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहाड़ी ब्लाक में मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य पहाड़ी के परिसर में खड़ी पायी गयी। उक्त वाहन विगत 20 दिनों से परिसर में खड़ी है। तथा निर्धारित क्षत्रों में भ्रमण नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान वाहन हेतु निर्धारित चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एल0टी0 उपस्थित नहीं थे।</li> <li>वाहन का निर्धारित रूट प्लान नहीं था। ब्लाक प्रमारीचिकित्साप्रमारी द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट एक एन0जी0ओ0 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कोई भी समन्वय नहीं किया जाता है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर तैनात मोबाइल मेडिकल यूनिट समन्वयक को निर्देशित किया गया कि वाहन को शीघ्र संचालित कराये तथा जितने दिवसों तक वाहन की सेवा बाधित रही है उतने दिनों का शुल्क नियमानुसार काटा जायेगा।</li> </ul>	प्रमारी चिकित्साधिकारी

जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह जनवरी 2019	अवलोकन बिन्दु अप्रैल 2019 एवं सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
नोट – माह जनवरी, 2019 के भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों एवं दिये गये सुझावों के कम में कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं पायी गई। नोडल अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराते हुए उचित कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया।			मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> <li>विगत माह भ्रमण के दौरान चिकित्सालय परिसर में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जिससे रोगियों व चिकित्सा वाहन के सुचारु आगमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।</li> <li>परिसर में जगह जगह पान की पीक के निशान पाये गये थे तथा परिसर में पीने के पानी की जगह अत्यन्त गंदी एवं दयनीय थी।</li> <li>पीने के पानी की जगह पर उपस्थित वाटर कूलर एवं आस पास गन्दगी जमी थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वाहन पार्क कराने की व्यवस्था के लिये सुझाव दिया गया था परन्तु पार्किंग व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ।</li> <li>क्लीनिंग एजेन्सी सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया कि निर्धारित चेक लिस्ट का उपयोग कर सफाई एजेन्सी के कर्मिकों से शिफ्ट में कार्य लेना सुनिश्चित करें। सप्ताह में एक बार क्लीनिंग कराना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह की समयावधि के अन्दर स्थिति में सुधार के लिये निर्देशित किया गया।</li> <li>पीने के पानी की जगह पर उपस्थित वाटर कूलर एवं आस पास जमी गन्दगी को साफ कराने के लिये निर्देशित किया गया था। परन्तु साफ सफाई की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक सप्ताह की समयावधि के अन्दर स्थिति में सुधार के लिये निर्देशित किया गया।</li> </ul>	मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थियों को डाइट बाहर की एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जा रहा था। डाइट रजिस्टर उपलब्ध था परन्तु अद्युनान्त नहीं था।</li> </ul>	टीम द्वारा यह सलाह दी गयी कि लाभार्थियों को सही डाइट दिया जाना सुनिश्चित करें। डाइट रजिस्टर maintain करायें।	
एस0एन0सी0यू0	<ul style="list-style-type: none"> <li>एस0एन0सी0यू0 विभाग में प्रोटोकाल पोस्टर चस्पा नहीं थे। अतिशीघ्र चस्पा कराने के निर्देश दिये गये।</li> <li>बच्चों के डिस्चार्ज के पश्चात फालोअप एवं Documentation नहीं हो रहा था।</li> <li>एस0एन0सी0यू0 के बाहर चप्पल उपलब्ध नहीं थी।</li> <li>एस0एन0सी0यू0 वार्ड में वाशवेसिन एवं शौचालय गंदी अवस्था में पाया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रोटोकाल पोस्टर चस्पा नहीं पाये गये तत्काल प्रभाव से चस्पा करने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>बच्चों के डिस्चार्ज के पश्चात फालोअप प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं मिला फालोअप एवं Documentation के लिये निर्देशित किया गया।</li> <li>एस0एन0सी0यू0 के बाहर चप्पल की व्यवस्था करने के निर्देश दिया गया।</li> <li>एस0एन0सी0यू0 में 12 रेडियेन्ट वार्मर सेट में 9 कियाशील हैं। 3 अकियाशील रेडियेन्ट वार्मर सेट के लिये सेवा एजेन्सी को कम्प्लेन के लिये निर्देशित किया गया।</li> <li>पल्स आक्सीमीटर 15 दिन से खराब था।</li> <li>स्टाफ नर्स द्वारा Cyrex एजेन्सी को तुरन्त काल करया गया। नोडल अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपकरणों के खराब होने पर तत्काल Cyrex को Complaint Register करायें एवं नियमानुसार ससमय कियाशील न किये जाने पर उच्चाधिकारियों को सूचित करें।</li> <li>वाशवेसिन एवं शौचालय गंदी अवस्था में मिले अतिशीघ्र स्वच्छ करने तथा स्वच्छता हेतु उचित प्रबन्धन के निर्देश दिये गये।</li> </ul>	मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्यचिकित्सा अधीक्षक



गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह जनवरी 2019	अवलोकन बिन्दु अप्रैल 2019 एवं सुधारात्मक कार्यवाही/निर्देश	कार्यवाही का स्तर
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष के बाहर प्रसव कक्ष से सम्बंधित अनुपयोगी उपकरण रखे पाये गये।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुपयोगी उपकरण को हटा दिया गया था।</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रवेश द्वार पर स्लीपर उपलब्ध नहीं थे तथा प्रसव कक्ष में साफ-सफाई एवं संक्रमण नियंत्रण में कमी पायी गयी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष हेतु स्लीपर उपलब्ध नहीं थे तत्काल प्रभाव से स्लीपर उपलब्ध करवाये गये।</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में प्रसव के लिये तीन टेबल जिन पर जंग लगे हुए थे पर प्रसव कराया जा रहा था। उपरोक्त पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष के लिये तत्काल नये टेबल की व्यवस्था के लिये निर्देशित किया गया था स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नोडल अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से टेबल बदलवाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में ceiling mounted operation light मौजूद है, जो अक्रियाशील है तथा उपकरण द्वारा भविष्य में स्टाफ तथा गरीजों के लिये दुर्घटना की सम्भावना बनी हुई है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceiling mounted operation light को हटाये जाने के लिये पुनः निर्देशित किया गया।</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री चरपा कराने के लिये निर्देशित किया गया था।</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>रूम में 7 ट्रे मानकानुसार पाया गया। ट्रे में आवश्यक दवाईयों उपलब्ध नहीं थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रूम में 7 ट्रे मानकानुसार पाया गये।</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था के लिये निर्देशित किया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं मिला उचित प्रबन्धन हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में हाथ धुलने हेतु लगा सिंक पूर्ण रूप से टूटा पाया गया। शौचालय गन्दी अवस्था में पाये गये थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>शौचालय की साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>नया वाश बेसिन अभी तक नहीं लगवाया गया था जिसे लगाये जाने हेतु पुनः निर्देशित किया गया। इस माह भ्रमण के दौरान स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>नवजात शिशुओं को ससमय बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी का बर्थ डोज नहीं दिया जा रहा है एवं प्रसव रजिस्टर में बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी की गलत ईन्ट्री की जा रही है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बी0सी0जी0 एवं हेपेटाइटिस-बी का बर्थ डोज नवजात शिशुओं को ससमय प्रदान नहीं किया जा रहा है जिस हेतु पुनः निर्देश दिये गये।</li> </ul>		
PNC वार्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>विगत माह भ्रमण के दौरान PNC वार्ड में साफ सफाई की कमी थी।</li> <li>वार्ड में सम्बंधित आई.ई.सी. की कमी पायी गयी।</li> <li>PNC वार्ड में शौचालय की सुविधा नहीं है।</li> <li>PNC वार्ड में pre labor तथा post labor दोनों ही गरीज भर्ती थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>इस माह भ्रमण के दौरान स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।</li> <li>PNC वार्ड की समस्त समस्याओं को अतिशीघ्र निस्तारित करने के लिये निर्देशित किया गया</li> </ul>	मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक


## सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-मानिकपुर

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह अप्रैल 2019	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिसर में साफ सफाई थी।</li> <li>परिसर में आई०ई०सी० की कमी पाई गयी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम आई० ई० सी० लगायी जानी है।</li> </ul>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था थी। प्रसव कक्ष में शौचालय स्वच्छ पाया गया परन्तु प्रसव कक्ष में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी।</li> <li>अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण हेतु कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।</li> <li>लेबर रूम में 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाया गया। ट्रे में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं थी।</li> <li>प्रसव कक्ष से संबंधित समस्त रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे एवं उपलब्ध रजिस्ट्रों को भी मानक के अनुसार नहीं भरा जा रहा था।</li> <li>बच्चों को हेपेटाईटिस-बी का बर्थ डोज नहीं दिया जा रहा था।</li> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई०ई०सी० सामग्री उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>मानकानुसार अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>नियमानुसार 7 ट्रे को रखा जाना है। सुझाव दिया गया कि ट्रे के ढक्कन पर दवाइयों की सूची लगायी जायें। जिससे समय पूर्ण होने पर चिन्हित दवाइयों को बदला जा सकें।</li> <li>समस्त रजिस्टर को मानकानुसार भरे जाने के लिये निर्देशित किया गया।</li> <li>हेपेटाईटिस-बी का बर्थ डोज ससमय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।</li> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई०ई०सी० सामग्री लगाया जाना है।</li> <li>अधीक्षक महोदय को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए प्रसव कक्ष से संबंधित समस्त कार्यों को उपलब्ध मानव संसाधन में विभाजित करने हेतु सुझाव दिया गया। कार्यविभाजन की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>	प्रभारी चिकित्साधिकारी




गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह अप्रैल 2019	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
कोल्ड चैन रूम	<ul style="list-style-type: none"> <li>सत्र के आयोजन के उपरान्त Logistic ( Syringe इत्यादि) वापस ना आने पर भी Stock Register में उक्त Logistic की वापसी की विवरण भरा जा रहा है।</li> <li>लाल एवं काली पालीथीन का उपयोग कोल्डचेन से Logistic, Syringe, Dropper इत्यादि सत्र स्थल पर ले जाने के लिये किया जा रहा था।</li> <li>ए0वी0डी0 रूट चार्ट उपलब्ध नहीं था तथा ए0वी0डी0 हेतु रू0 75.00 की दर से भुगतान किया जा रहा था।</li> <li>एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईकोप्लान में समायोजन नहीं किया गया है कामनयूकेसन प्लान,वी0एच0एन0डी0 सुपरविजन प्लान भी उपलब्ध नहीं था। नवजात शिशुओं को ससमय वी0सी0जी0 का डोज नहीं दिया जा रहा है</li> <li>निस्तारण पिट मानक के अनुसार बनायी गयी थी परन्तु सत्र स्थल से शार्प मैटिरियल वापस नहीं लाये जा रहें थे एवं उनका निस्तारण व्हीचिंग से नहीं किया जा रहा था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस तरह की प्रक्रिया न की जाय।</li> <li>सुझाव दिया गया कि हरे रंग के पर्दे लगाये जाय या खिड़की के शीशे हरे कलर से पेन्ट करा दिया जाये।</li> <li>निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस तरह की प्रक्रिया न की जाय।</li> <li>ए0वी0डी0 रूट चार्ट तैयार कराने के निर्देश दिये गये। गया तथा नियमित टीकाकरण के दिशानिर्देश 2018-19 से अवगत कराते हुए ए0वी0डी0 हेतु रू0 90.00 की दर से भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।</li> <li>एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईकोप्लान को समायोजन करने के लिये तथा अतिशीघ्र माईकोप्लान अपडेट करने के निर्देश दिये गये।</li> <li>शार्प मैटिरियल सत्र से वापस लाने एवं उनका निस्तारण पिट में करने के निर्देश दिये गये। लाल एवं काली पालीथीन का उपयोग के बारे में बताया गया</li> </ul>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
माडल- वी0एच0एन0डी0 सत्र-सेमरदहा	<ul style="list-style-type: none"> <li>टीकाकरण सत्र समय से आयोजित किये जा रहे थे। सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आगनवाड़ी उपस्थित थीं।</li> <li>सत्र से लाल एवं काली पालीथीन में शार्प मैटिरियल वापस CHC पर नहीं आ रहे थे।</li> <li>आई0एम0आई के सत्रों को आर0आई0 के सत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया है।</li> <li>सत्र स्थल पर आर0आई0 माईकोप्लान उपलब्ध नहीं था।</li> <li>आगनवाड़ी द्वारा ग्रोथ मानिट्रिंग चार्ट नहीं भरा जा रहा है।</li> <li>आशा एवं आगनवाड़ी की Peer educator का प्रशिक्षण नहीं हुआ था।</li> <li>आशा द्वारा माँ को ORS घोल बनाने के बारे में जानकारी नहीं दी गयी थी।</li> <li>टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण से सम्बंधित बैनर उपलब्ध नहीं थे।</li> <li>टीकाकरण के पश्चात ए0एन0एम0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सत्र से प्रयोग करने के बाद शार्प मैटिरियल वापस CHC/PHC पर लाने के निर्देश दिये गये।</li> <li>अतिशीघ्र माईकोप्लान अपडेट करने एवं आई0एम0आई सत्रों को आर0आई0 सत्रों में सम्मिलित कर छूटे हुए सत्रों को आच्छादित करने के निर्देश दिये गये।</li> <li>आगनवाड़ी को ग्रोथ मानिट्रिंग चार्ट इंगित करने के निर्देश दिया गया।</li> <li>ए0एन0एम0 को सुझाव दिया गया कि आशा द्वारा लाभार्थियों को ORS बनाने की विधि के बारे में अवश्य जानकारी दी जाय।</li> <li>टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण से सम्बंधित बैनर उपलब्ध कराया गया। ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार महत्त्वपूर्ण संदेश दिये जाने का निर्देश दिया गया।</li> <li>ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि</li> </ul>	ए0एन0एम0 / प्रभारी चिकित्साधिकारी

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु माह अप्रैल 2019	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
	<p>द्वारा लाभाधिकियों को चार महत्त्वपूर्ण संदेश नहीं दिये जा रहे थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सत्र पर अद्यतन ड्यूलिरट उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>	सत्र पर अद्यतन ड्यूलिरट अवश्य होनी चाहिये।	




श्री सत्यप्रकाश

कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0



डा0 अर्पित श्रीवास्तव

परामर्शदाता, आर0आई0



डा0 वेद प्रकाश

महाप्रबन्धक, आर0 आई0

(मण्डलीय नोडल अधिकारी –सहयोगात्मक पर्यवेक्षण,

चित्रकूट मण्डल)